

5/2/18

मौलाना काशी/बकुलाय उषा। पीछरीन अधिकारी  
अन्य प्रशासनिक कार्यों में लक्ष्य होने से कारण  
पत्रावली पाली ... दिनांक 14/3/18  
को पेश हो।

14.3.18

मौलाना काशी/बकुलाय उषा। पीछरीन अधिकारी  
अन्य प्रशासनिक कार्यों में लक्ष्य होने से कारण  
पत्रावली पाली ... दिनांक 14/3/18  
को पेश हो।

8/5/18

राजस्व लोक अदालत अभियान आयोजित करने  
जाने के संबंध में राजस्व ग्रुप-1 विभाग के पत्र  
दिनांक 21.04.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों की  
पालना में आज यह पत्रावली मरे समक्ष पेश हुई  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। मेरी राय में  
कारण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किंचे  
ज्ञान योग्य है। अतः पत्रावली उपस्थितकारान को  
नोटिस जारी होकर लोक अदालत के समक्ष दिनांक  
22/6/18 को पेश हो।

22/6/18

पर पेश हो।

उपस्थंड अधिकारी  
अलवर

22/4/18

पत्रावली संशय आपने दूर 2018 का एक लोक  
अदालत के माध्यम से पेश हुई/पत्रावली का  
अवलोकन किया/पत्रावली का प्रथम दृष्टिकोण के संक्षेप  
सुविधा का स्मृतजन प्रतीति है/पत्रावली में पाए जाते हैं  
अतः पत्रावली को तात्पर्य यह  
पावन्क किया जाता है कि विवाहित आरक्षी स्वतंत्र  
अधिकारों जो कि इनका सं. 265 ग्राम सिलाबर  
में अंकित है के प्राप्ति से अलग अलग में कमाए  
ये अंशगत पैसा नहीं रहे/पत्रावली के सिलेबस  
अनुसार सजा ही सत्यन मूल कमील रहे।

दलेर सिंह  
एडवोकेट  
बैंच सदस्य  
राजस्व लोक अदालत

मदन लाल गायल  
सेवानिवृत्त तहसीलदार  
बैंच सदस्य  
राजस्व लोक अदालत

नीलाम सक्सेना  
I.A.S.  
उपस्थंड अधिकारी, अलवर